24

संख्या–२८ / 2015 / 16 / IX / 2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग देहरादून, दिनांक ३१ मार्च, 2015

विषय– सहस्त्रधारा देहरादून स्थित हैलीपैड में लॉज का निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–343 / लेखा / बजट / प्लान / 2014–15 दिनांक 27 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा सहस्त्रधारा देहरादून स्थित हैलीपैड के लॉज के निर्माण हेतु गठित आगणन रू0 61.00 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 4.26 लाख तथा तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से आच्छादित कार्यो हेतु रू0 56.14 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 61.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 61.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र संक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण 31 मार्च, 2015 से पूर्व प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। निदेशक नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा राजकोष से उक्त धनराशि आहरित कर यूकाडा के खाते में जमा करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था के माग के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

G.O.DOC1163

6– विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

8– इस संबंध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेगे।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक–5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–02– विमान पत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–04–हवाई पट्टी का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–1016/XXVII(2)/2015, दिनांक 3 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 26/16/2015/ IX/2010 ______, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित की प्रस्तर–4 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड फाईल।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अक्षत गुप्ता)
अपर सचिव।